स्पीड पोस्ट

संविदा अनुभाग
भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
इज्जतनगर, बरेली – 243122 (उ0 प्र0)
Contract Section
INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE
IZATNAGAR, BAREILLY – 243122 (U.P.)
FAX NO.0581-2303284 Phone No.0581-2310261/2310195

पत्र सं0 5–5/2014–15/संविदा दिनांक 22.06.2015

निविदा स्वीकृति आदेश

सेवा में,

मैसर्स पाल इन्टर प्राईजेज़,
संजय नगर बाई पास रोड,
नियर पाल बारात घर
बरेली–243005

महोदय,

कृपया अपने निविदा प्रपत्र दिनांक 09.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें जोकि संस्थान के राष्ट्रीय पशु–चिकित्सा विज्ञान पुस्तकालय में वार्षिक दर संविदा पर शोध पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशनों की जिल्दसाजी एवं रख–रखाव के कार्य के ठेके के सम्बन्ध में थी। इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि सक्षम अधिकारी द्वारा आपके उपरोक्त कार्य हेतु दी गई दरें, आपके निविदा स्वीकृति आदेश स्वीकार करने की तिथि से 01 वर्ष के लिये स्वीकार कर ली गई है जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार हैः–

विवरण	दरें
(अ) **जिल्दसाजी का कार्यः–** 1. पुस्तकालय प्रकाशनों की जिल्दसाजी (साइज 9–11″ X 7–8″)	229.00 प्रति प्रकाशन
2. पुस्तकालय प्रकाशनों की जिल्दसाजी (साइज 6–9″ X 6–7″)	217.00 प्रति प्रकाशन
(ब) प्रकाशनों की मरम्मत का कार्य	126.00 प्रति प्रकाशन

सामन्य नियम व शर्ते इस प्रकार हैः–

1. संपूर्ण जिल्दसाजी के कार्य में फेवीकोल–एस.एच. का ही प्रयोग होना चाहिए।
2. जिल्दसाजी का कार्य ठेकेदार की कार्यशाला में ही होगा तथा इसका परिवहन व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा जिल्दसाजी का कार्य पुस्तकालय परिसर में भी किया जा सकता है जिसके लिए बिजली एवं स्थान संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसके एवज में बिल राशि का 5 से 10 प्रतिशत तक की राशि टोकन शुल्क के रूप में वसूली जायेगी।
3. कार्य का निरीक्षण एक समिति द्वारा किया जायेगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।
4. सुरक्षा की दृष्टि से ठेकेदार को एक बार में अधिकतम 500 पुस्तकों/पत्रिकाओं को जिल्दसाजी हेतु बाहर ले जाने दिया जायेगा। जिन्हें 02 माह में जिल्दसाजी करके वापस पुस्तकालय में देना होगा।
5. पुस्तकों व पत्रिकाओं को जिल्दसाजी एवं मरम्मत हेतु ले जाने तथा पुनः वापस लाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा तथा किसी भी प्रकार की क्षति होने पर निर्धारित हर्जाना ठेकेदार को मान्य व वहन करना होगा।
6. उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य यदि ठेकेदार द्वारा सन्तोषजनक/नियमानुसार नहीं किया जाता है अथवा अधूरा छोड़ दिया जाता है तो पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. जिल्दसाजी किये जाने वाले प्रकाशनों का निरीक्षण पुस्तकालय में किसी भी कार्यदिवस में आकर किया जा सकता है।

8. मानवशक्तियों की मजदूरी, हितलाभ अन्य प्रकार के भुगतान जो उन्हे नियमानुसार देय होते हो समय से करना, ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी ।
9. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के उससे सम्बन्धित सभी शर्तों इत्यादि के सभी कानूनी दायित्वों, मामलों का निपटान अपने स्तर से करें तथा सभी नियमों एवं लागू कानूनी बंदिशों का पालन करेगा ।
10. ठेकेदार ठेके के किसी भाग को किसी भी दशा में/प्रकार से किसी अन्य एजेन्सी या ठेकेदार को स्थानान्तरित/शिकमी पर नहीं करेगा।
11. (अ) संस्थान एवं ठेकेदार के बीच किसी प्रकार का मतभेद या विवाद की स्थिती में, इसे आपसी परामर्श/विचार विमर्श से सुलझा लिया जाएगा। ऐसा न होने की स्थिति में विवाद आपसी एवं सुलह अधिनियम 1966 के अर्न्तगत/अनुसार निपटाया जाएगा।
    (ब) ठेके के अर्न्तगत कोई विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र बरेली होगा।

12. यदि ठेकेदार आवंटित अवधि के मध्य में संस्थान को अपनी सेवाएं नहीं देना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पूर्व सूचित करना होगा । किन्तु आवंटित अवधि से जितनी अवधि का कार्य ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया जाएगा उसी अनुपात में धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी ।
13. ठेकेदार आवश्यकता पड़ने पर आवंटित अवधि की एक चौथाई अवधि बढ़ाए जाने पर कार्य करवाने हेतु बाध्य होगा । इससे अधिक ठेके की अवधि ठेकेदार की सहमति से बढ़ाई जा सकती है।
14. कार्य आवंटित होने पर पुस्तकों को जिल्दसाजी हेतु विभाग/अनुभाग द्वारा सुपुर्दगी फर्म/ठेकेदार को अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिध को ही की जाएगी । अधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में सूचना जिसमें प्रतिनिधि का व्यक्तिगत विवरण जैसे–उसका नाम, पता, स्थाई पता इत्यादि दर्शाया गया हो सम्बन्धित अनुभाग/विभाग के प्रभारी को जमा करना होगा ।
15. कार्य के समय ठेकेदार के किसी भी व्यक्ति अथवा मशीन, औजार की हानि का उत्तर दायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा ।
16. ठेकेदार अथवा उसके मजदूरों की तरफ से किसी प्रकार का झगड़ा इत्यादि असंतोषजनक कार्य अशोभनीय व्यवहार करने या इसकी सूचना मिलने पर कार्य का अनुबंध बगैर किसी अग्रिम सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा ।
17. संस्थान की किसी प्रकार की सम्पत्ति का नुकसान सम्बन्धित ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा होने पर पैसा ठेकेदार के बिल अथवा धरोहर राशि से काट लिया जायेगा तथा कार्यकाल के दौरान कोई वस्तु खो जाती अथवा कोई हानि होती है इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा ।

आपसे कहा जाता है कि आप 55000.00 रूपये की एफ0डी0आर0 जोकि 14 माह के लिये वैध हो तथा निदेशक, भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के नाम बन्धक हो को, इस कार्यालय में इस आदेश के जारी होने के 07 दिन के अन्दर जमा करें। साथ ही 100.00 रूपये के नान जूडिशियल स्टाप पेपर पर एग्रीमेन्ट साइन करें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते है तो आपका निविदा स्वीकृति आदेश रदद कर दिया जायेगा तथा आपकी अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (संविदा)

वितरणः–

1. वित्त नियन्त्रक, भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर।
2. प्रभारी, राष्ट्रीय पशु–चिकित्सा विज्ञान पुस्तकालय, भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर।
3. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सर्तकता), भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर।
4. प्रभारी सगंणक केन्द्र, भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर को सस्थांन की वैब साइड पर अपलोड करने हेतु।